



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2013/पौष 17, 1934

No. 58]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2013/PAUSA 17, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2013

का.आ. 62(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 40/000 कि.मी. से 85/600 कि.मी. तक (टिन्डीवनम से कृष्णागीरि सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग, विल्लुपुरम, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 40/000 कि.मी से 85.600 कि.मी तक (टिन्डीवनम - कृष्णागीरि सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विल्लूपुरम	1.तिदिवनम्	पट्टनम	123/1बी	निजी	शुष्क	300
		2.सेंजी	सिरुकदम्बुर	81/3	निजी	नाथम ए डी डबल्यु कालोनी	767
				81/5ए	निजी	नाथम ए डी डबल्यु कालोनी	118
				81/5बी	निजी	नाथम ए डी डबल्यु कालोनी	489
				81/5सी	निजी	नाथम ए डी डबल्यु कालोनी	197
				81/6एफ	निजी	शुष्क	200
				81/6जी	निजी	शुष्क	125
				81/6एच	निजी	शुष्क	900
				82/1	निजी	शुष्क	17
				82/3	निजी	शुष्क	390
				82/4	निजी	शुष्क	1125
				82/5	निजी	शुष्क	115
				82/6	निजी	शुष्क	1470
				82/7	निजी	शुष्क	1388
				82/8	निजी	शुष्क	200
				83/8सी	निजी	नम	112
				84/8बी	निजी	नम	201
				88/11	निजी	नम	262
				89/4	निजी	नम	5
				97/3	निजी	नम	227
				97/4	निजी	नम	473
				98/3	निजी	नम	154

1	2	3	4	5	6	7	8
				98/5	निजी	नम	82
				98/7	निजी	नम	136
				98/10	निजी	नम	238
				98/11	निजी	नम	52
				98/16	निजी	नम	646
				98/27ई	निजी	नम	2655
				105/3ए2	निजी	नम	150
				105/3ए3	निजी	नम	200
				105/3ए4	निजी	नम	110
				105/3ए7	निजी	नम	137
				105/3ए8	निजी	नम	109
				106/4बी2	निजी	नम	447
				107/1	निजी	नम	621
				107/2	सरकारी	पोरमबोक	18
				107/7	निजी	नम	152
				107/8बी	निजी	नम	333
				107/8सी	निजी	नम	66
				107/9	निजी	नम	336
				108/4	निजी	नम	442
				111/1ए2	निजी	नम	988
				111/1बी	निजी	नम	334
				111/2बी	निजी	नम	75
				111/2सी	निजी	नम	508
				111/2डी	निजी	नम	64
				112/1ए2ए	निजी	नम	431
				112/1ए2बी	निजी	नम	146
				112/1ए2सी	निजी	नम	50
				112/1ए9	निजी	नम	150
				112/2ए	निजी	नम	880
				113/1बी	सरकारी	पोरमबोक	334
				113/2ए	निजी	नम	199
				113/3	निजी	नम	105
				118/4	निजी	शुष्क	282
				118/6	निजी	शुष्क	155
				118/7	निजी	शुष्क	69
				125/14	निजी	शुष्क	254
				125/15	निजी	शुष्क	165
				126/13	निजी	शुष्क	92

1	2	3	4	5	6	7	8
				126/14बी	निजी	शुष्क	23
				127/6ए	निजी	शुष्क	77
				127/6बी	निजी	शुष्क	123
				127/7सी	निजी	शुष्क	85
				127/7डी	निजी	शुष्क	89
				127/13बी	निजी	शुष्क	163
				127/15	निजी	शुष्क	545
				127/16ए	निजी	शुष्क	5
				127/16बी	निजी	शुष्क	89
				127/17	निजी	शुष्क	128
				128/1	निजी	शुष्क	106
				128/2बी	निजी	शुष्क	569
				128/11ए	निजी	शुष्क	79
				128/11बी	निजी	शुष्क	179
				128/11सी	निजी	शुष्क	33
				128/12	निजी	शुष्क	6
			(2) सक्करपुरम	67/2	सरकारी	पोरमबोक	117
				70	सरकारी	पोरमबोक	7300
				82	सरकारी	पोरमबोक	2750
				68/3ए2ए	निजी	नम	17
				68/3बी1ए	निजी	नम	193
				68/3बी2	निजी	नम	378
				68/4ए	निजी	नम	305
				68/4बी	निजी	नम	12
			(3) नेनिलीकोन्डान	14/2बी	निजी	शुष्क	53
				14/3	निजी	शुष्क	13
				14/4ए	निजी	शुष्क	70
				38/5ए2	निजी	शुष्क	12

[फा. सं. भारासप्रा-मुआ/11013/2011-एलए/नोटिफ/पीआईयू-विल्लूपुरम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2013

S.O. 62(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.66 on the stretch of land from Km.40/000 to Km.85/600 (Tindivanam to Krishnagiri Section) in District Viluppuram in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special District Revenue Officer (Land Acquisition), National Highways, Viluppuram, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

90 9/13-2

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 40/000 to Km. 85/600 (Tindivanam - Krishnagiri Section) of the National Highway No.66 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in Square meters)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Viluppuram	1) Tindivanam	Pattanam	123/1B	Private	Dry	300
		2) Gingee	1) Sirukadambur	81/3	Private	Natham ADW Colony	767
				81/5A	Private	Natham ADW Colony	118
				81/5B	Private	Natham ADW Colony	489
				81/5C	Private	Natham ADW Colony	197
				81/6F	Private	Dry	200
				81/6G	Private	Dry	125
				81/6H	Private	Dry	900
				82/1	Private	Dry	17
				82/3	Private	Dry	390
				82/4	Private	Dry	1125
				82/5	Private	Dry	115
				82/6	Private	Dry	1470
				82/7	Private	Dry	1388
				82/8	Private	Dry	200
				83/8C	Private	Wet	112
				84/8B	Private	Wet	201
				88/11	Private	Wet	262
				89/4	Private	Wet	5
				97/3	Private	Wet	227
				97/4	Private	Wet	473
				98/3	Private	Wet	154
				98/5	Private	Wet	82
				98/7	Private	Wet	136
				98/10	Private	Wet	238
				98/11	Private	Wet	52
				98/16	Private	Wet	646
				98/27E	Private	Wet	2655
				105/3A2	Private	Wet	150
				105/3A3	Private	Wet	200
				105/3A4	Private	Wet	110

1	2	3	4	5	6	7	8
				105/3A7	Private	Wet	137
				105/3A8	Private	Wet	109
				106/4B2	Private	Wet	447
				107/1	Private	Wet	621
				107/2	Govt.	Poramboke	18
				107/7	Private	Wet	152
				107/8B	Private	Wet	333
				107/8C	Private	Wet	66
				107/9	Private	Wet	336
				108/4	Private	Wet	442
				111/1A2	Private	Wet	988
				111/1B	Private	Wet	334
				111/2B	Private	Wet	75
				111/2C	Private	Wet	508
				111/2D	Private	Wet	64
				112/1A2A	Private	Wet	431
				112/1A2B	Private	Wet	146
				112/1A2C	Private	Wet	50
				112/1A9	Private	Wet	150
				112/2A	Private	Wet	880
				113/1B	Govt.	Poramboke	334
				113/2A	Private	Wet	199
				113/3	Private	Wet	105
				118/4	Private	Dry	282
				118/6	Private	Dry	155
				118/7	Private	Dry	69
				125/14	Private	Dry	254
				125/15	Private	Dry	165
				126/13	Private	Dry	92
				126/14B	Private	Dry	23
				127/6A	Private	Dry	77
				127/6B	Private	Dry	123
				127/7C	Private	Dry	85
				127/7D	Private	Dry	89
				127/13B	Private	Dry	163
				127/15	Private	Dry	545
				127/16A	Private	Dry	5
				127/16B	Private	Dry	89
				127/17	Private	Dry	128

1	2	3	4	5	6	7	8
			2) Sakkarapuram	128/1	Private	Dry	106
				128/2B	Private	Dry	569
				128/11A	Private	Dry	79
				128/11B	Private	Dry	179
				128/11C	Private	Dry	33
				128/12	Private	Dry	6
				67/2	Govt.	Poramboke	117
				70	Govt.	Poramboke	7300
				82	Govt.	Poramboke	2750
				68/3A2A	Private	Wet	17
				68/3B1A	Private	Wet	193
				68/3B2	Private	Wet	378
			3) Nangilikondan	68/4A	Private	Wet	305
				68/4B	Private	Wet	12
				14/2B	Private	Dry	53
				14/3	Private	Dry	13
				14/4A	Private	Dry	70
				38/5A2	Private	Dry	12

[F. No. NHA1-HQ/11013/2011-LA/Notif./PIU-Villupuram]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.